विदेशी छात्र के मामले में प्रो–बोनो विधिक सहायता से पहला फैसला

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 में दिनांक 22.10.2018 को हुये संशोधन के आधार पर मान्नीय राजस्थान उच्च न्यायालय सहित राज्य के अन्य समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में प्रो–बोनो सर्विस के तहत वरिष्ठ अधिवक्तागण की सहमति प्राप्त कर उनसे पैरवी कराने का निर्णय लिया है।

इसके तहत सेण्ट्रल जेल, जयपुर में बन्द बी0टेक फाईनल ईयर के छात्र जो कि यमन देश का निवासी है, के जमानत के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर के मान्नीय न्यायाधिपति चेयरमैन साहब के निर्देश पर दिनांक 04.07.2019 को प्रो–बोनो अधिवक्ता नियुक्त किया गया ।

मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2019 को एस.बी. क्रिमीनल मिस.बेल एप्लीकेशन में आदेश पारित करते हुये उक्त बंदी छात्र को पचास हजार के बंधपत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार की दो सुदृढ़ एवं विश्वनीय प्रतिभूति प्रस्तुत कराने पर जमानत पर आजाद किये जाने का आदेश पारित किया है, साथ ही विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को यह भी निर्देश दिया है कि वे प्रकरण संख्या viii (48) 96/PREV/2019PS CUSTOM AND EXCISE COMMISSIONERATE अन्तर्गत धारा 23 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण का यथासंभव छः माह में निस्तारण करने का प्रयास करें। यह भी आदेश दिया गया है कि उक्त बंदी का पासपोर्ट समय अवधि व्यतीत होने तक न्यायालय में जमा रखा जावें और यदि बंदी पासपोर्ट की अवधि पूर्ण होने से पूर्व अपने मूल देश/विदेश जाने की आवश्यकता महसूस करें तो इस क्रम में वह अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

उल्लेखनीय है कि अधिवक्तागण द्वारा प्रो–बोनो सर्विस देने का मतलब है कि अधिवक्ता राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से अथवा पक्षकार से कोई फीस लिये बिना निःशुल्क पैरवी करने की सहमति देकर न्यायालय में पक्षकार की ओर से पैरवी करता है। यह राजस्थान राज्य का ऐसा पहला मामला है जिसमें विदेशी नागरिक के मामले में किसी अधिवक्ता ने प्रो–बोनो सर्विस की सहमति दी और न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाया।